

सर पर मैला ढोने की प्रथा का निषेध और इससे जुड़े लोगों के पुनर्वास संबंधी अधिनियम (Head of The Practice of manual Scavenging Nised And Related Rehabilitation of People Act –Development Plans)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
<ul style="list-style-type: none">अस्वच्छ शौचालयों को हटानानिषेध-○ मैल ढोन वालों का नियोजन○ सीवर और सेप्टिक (विषाक्त) टैंको (हौज़) की हाथ से जोखिमपूर्ण सफाईसर पर मैल ढोने वालों का सर्वेक्षण और उनका पुनर्वास	<ul style="list-style-type: none">सफाई कर्मचारी● सैनिटेशन (से जुड़े बेहतर प्रथाओं को अपनाने के फलस्वरूप आम जनता को स्वास्थ्य लाभ	<ul style="list-style-type: none">सर पर मैला ढोने की प्रथा तथा अस्वच्छ शौचालयों की परिभाषा को विस्तृत कर इसमें न केवल सूखे शौचालयों बल्कि अन्य अस्वच्छ शौचालयों को भी शामिल किया गया है।अधिनियम के तहत किए जाने वाले अपराध संज्ञेय और गैर जमानती प्रकृति के हैं और साथ ही कठोर दंड का भी प्रावधान सम्मिलित है।केंद्र, राज्य, जिला और उप-जिला स्तरों पर सतर्कता/निगरानी समिति।राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अन्य बातों के साथ-साथ <u>अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी</u> तथा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित शिकयतों की जांच करेगा।खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने के लिए, अधिनियम लागू होने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर, शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में स्वच्छ सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का प्रावधान।